



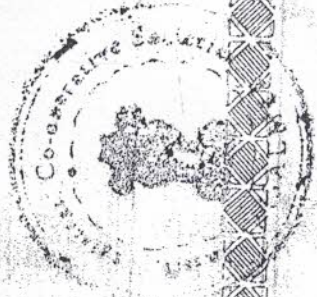
राजस्थान

सरकार

## रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम १९६५ की धारा ६(i) के अन्तर्गत सर्वश्री: अजयशम, धरमदाशम, अशमालशम, बिरदाम, रानीकिशम, बिरदाम-४, मुकनाराशम तथा अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन खेतोलाई दुधडावांस सहकारी समिति लि. पंचायत समिति खाकड़ा पोस्ट ग्राम-खेतोलाई जिला अजमेर के नाम से स्वीकृत किया गया तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक २३.१२.७५ को क्रमांक २५४/११ पर उपरोक्त अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन-पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उप-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक २३.१२.७५ को जारी किया गया।



सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी समिति, जैमलेश्वर

*Handwritten signature*